संख्या- 81/2017/सा0- 2109/सात-न्याय-1-17-121/2017

प्रेषक,

उमेश कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

न्याय अनुभाग-1 (उच्च न्यायालय) लखनऊ- दिनांक- 28 दिसम्बर , 2017

विषय- मा0 उच्च न्यायालय,इलाहाबाद एवं लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ के पदासीन मा0 न्यायमूर्तिगण को ह्रसित मूल्य (डिप्रिशियेशन वैल्यू) पर लैपटाप उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र संख्या- आईसीसी/सीएमपी/169/2015, दिनांक 03-10-2015 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्च न्यायालय,इलाहाबाद एवं लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ के पदासीन मा0 न्यायमूर्तिगण को निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन लैपटाप उपलब्ध कराये जाने हेतु क्रय किये जाने एवं ह्रसित मूल्य (डिप्रिशियेशन वैल्यू) पर उपलब्ध कराये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते है:-

1- मा0 उच्च न्यायालय के मा0 न्यायमूर्तिगण को लैपटाप उपलब्ध कराने हेतु मा0 उच्च न्यायालय स्तर पर नोडल प्रकोष्ठ का गठन किया जाये। नोडल प्रकोष्ठ द्वारा लैपटाप के क्रय, अनुरक्षण, मा0 न्यायमूर्तिगण का नाम,प्रयुक्त धनराशि आदि का विवरण रखा जायेगा जो आवश्यकता पड़ने पर शासन को भी उपलब्ध कराया जायेगा।

2- लैपटाप उपलब्ध कराने हेतु एजेन्सी का चयन टेण्डर प्रक्रिया वर्तमान में प्रचलित नियमानुसार किया जायेगा।

3- लैपटाप न्यूनतम, अधतन तकनीकी विशिष्टयों अथवा उससे उच्चतर तकनीकी विशिष्टयों के ही क्रय किये जायेगें। निम्न स्तर के लैपटाप किसी भी दशा में क्रय नहीं किये जायेगें।

4- लैपटाप की आपूर्ति/क्रय हेतु आदेश एजेन्सी चयन के पश्चात नोडल प्रकोष्ठ द्वारा सीधे निर्गत किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- मा0 उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाणित किया जायेगा कि उपलब्ध कराये गये लैपटाप निर्धारित तकनीकी विशिष्टयों के हैं। तत्पश्चात ही चयनित एजेन्सी को नियमानुसार धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

6- लैपटाप को मा0 न्यायमूर्तिगण के नाम से आवंटित किया जायेगा तथा लैपटाप की सुरक्षा की व्यक्तिगत जिम्मेदारी मा0 न्यायमूर्तिगण की होगी। लैपटाप की चोरी/क्षति होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

7- मा0 न्यायमूर्तिगण लैपटाप(सचिवालय प्रशासन अनुभाग-13 (विविध)) के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2478/बीस-13-वि-2013-31(क0प्र0)/2007,दिनांक 31-10-2013 में विहित व्यवस्था के अनुसार, यदि वह चाहे तो निम्नलिखित अवमूल्यन मूल्य के आधार पर क्रय किया जा सकेगा:-

"The laptop will be depreciated @ 60% per year on written down value i.e the depreciated price will become 40% of the original price during the first year, 16% during the second year, 6.4% during the third year, 2.56% during the fourth year and 1.03% during the fifth year.

8- वारन्टी अवधि के लैपटाप का अनुरक्षण नोडल प्रकोष्ठ द्वारा सम्बन्धित एजेन्सी से सीधे कराया जायेगा। वारन्टी अवधि के उपरान्त लैपटाप का अनुरक्षण नोडल विभाग द्वारा कराया जायेगा।

9- मा0 न्यायमूर्तिगण के सेवानिवृत्ति की दशा में यदि मा0 न्यायमूर्तिगण द्वारा उपर्युक्त प्रस्तर-7 के अनुसार अवमूल्यन दर पर लैपटाप का क्रय नहीं किया जाता है तो लैपटाप नोडल प्रकोष्ठ द्वारा रख-रखाव एवं लेखा जोखा रखा जायेगा।

10- मा0 न्यायमूर्तिगण को लैपटाप क्रय करके उपलब्ध कराये जाने हेतु मा0 उच्च न्यायालय के लिए बजट आवंटन की व्यवस्था की जायेगी।

11- लैपटाप क्रय सम्व्यवहार, अनुरक्षण, अवमूल्यन आदि के लिये अन्य प्रक्रियागत व्यवस्थायें मा0 मुख्य न्यायाधिपति द्वारा विहित की जायेगी।

12- मा0 मुख्य न्यायाधीश द्वारा लैपटापों को बटटे खाते में डाले जाने के स्थान पर वस्तुओं का निस्तारण "फालतू एवं निष्प्रयोज्य भण्डार का विक्रय स्वीकृत करना/नीलामी शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया जिसका विवरण वित्त विभाग के शासनादेश संख्या- ए-2/1092/दस-11-24(7)/95, दिनांक 25-11-11 में विहित व्यवस्थानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

13- लैपटाप का क्रय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम, उघम विभाग द्वारा वस्तुओं/सेवाओं के क्रय हेतु निर्गत सुसंगत शासनादेशों के अनुसार गवर्नमेण्ट-ई-मार्केट प्लेस (जेम)/ई-टेडरिंग के माध्यम से किया जायेगा तथा मा0 न्यायमूर्तिगण को उक्त सुविधा 05 वर्ष में एक बार अनुमन्य होगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उक्त आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या- ई-12-1442/दस-2017, दिनांक 28 दिसम्बर , 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

ह0/- उमेश कुमार,
प्रमुख सचिव।

संख्या- 81/2017/सा0- 2109(।)/सात-न्याय-1-17-तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा हकदारी एवं आडिट-।।), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वरिष्ठ निबन्धक (न्यायिक/बजट), मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
3- निबन्धक (लेखा), मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
4- वरिष्ठ निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ।
5- कोषाधिकारी, इलाहाबाद/लखनऊ।
6- वित्त, वेतन आयोग, अनुभाग-1/2
7- वित्त, ई-12/वित्त सामान्य-1
8- सचिवालय प्रशासन अनुभाग-7
9- न्याय अनुभाग-9/नेट पर अपलोड करने हेतु।
10- गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

ह0/- विपिन कुमार,
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in